

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(2)न्याय/2006

जयपुर, दिनांक 03/8/16

उप निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
चुरू।


विषय:—श्री चन्द्रशेखर पारीक, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चुरू को कार्यमुक्त करने के संबंध में।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक—उनिशि/माध्य/चुरू/विधि/संस्था-स/2016 दिनांक 25.07.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री चन्द्रशेखर पारीक, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चुरू का राजस्थान न्यायिक सेवा में चयन हो गया है। श्री चन्द्रशेखर पारीक को Rajasthan State Judicial Academy, near Jhalamand Circle, Jodhpur में दिनांक 04.08.2016 को सायं 3:00 बजे उपस्थित होना है। अतः श्री चन्द्रशेखर पारीक, वरिष्ठ विधि अधिकारी को दिनांक 03.08.2016 को मध्याह्न पश्चात् कार्यमुक्त किया जावे। श्री पारीक का राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर लियन नियमानुसार रहेगा।

भवदीय,


(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि श्री चन्द्रशेखर पारीक, वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, चुरू को सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव